तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता उप0। उतरदातागण अनु0। अपीलाण्ट ने इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि अपीलाण्ट संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 238 रकबा 92 बीघा मौजा–लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह0 शिव मे आई हुई है। अपीलाधीन भूमि अपीलाण्ट एवं उतरदाता संख्या 2 के उनके पिता शेरखान से विरासत में प्राप्त हुई है लेकिन अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 2 के पिता शेराखान के फौतगी के विरासती नामान्तरकण 151 को राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलाण्ट को बिना सुने अपीलाण्ट के वास्तविक नाम अलीखान के स्थान पर उतरदाता संख्या 2 के साथ मामद दर्ज किया जो गलत होने से उक्त नामान्तरकण 151 खारिज किया जाकर उनके स्थान पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अली खान पुत्र शेर खान दर्ज किया जावे। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर उतरदातागण को जरीये सम्मन तलब किये गये। साथ तहसीलदार शिव से उक्त अपील से संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की तथा अपीलाण्ट की अपील के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी, ग्राम पंचायत मुंगेरिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा तहसीलदार शिव की तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें अपीलाण्ट का वास्तविक नाम अलीखान पुत्र शेरखान है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील स्वीकार कि जाकर खसरा नम्बर 238 रकबा 92 बीघा मौजा–लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह0 शिव में उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित नामान्तरकण 151 खारीज किया जाता है साथ ही तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि उक्त अपीलाधीन भूमिके संबंध में राजस्व रेकर्ड की अन्य सभी प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए अपीलाण्ट का नाम मामद पुत्र शेर खान के स्थान पर अली खान पुत्र शेर खान घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला–बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:38:03 IST
Reason: SelfAttested